ORDER SHEET 669-2011Rct THECOURT-----

		1	7	Z '	<u></u>	2								
 	 		 -/	<u> </u>	-	_	 	 	 -	 	 	 	_	_

	~~~	
Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
23 -01-17	राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपीगण सहित अधि०श्री मुकेश कुशवाह उप0 प्रकरण आज बचाव साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी जगत सिंह एवं आहत लाली उप0 है। फरियादी व आहत की पहचान अधि०श्री ए०एस०जादौन द्वारा की गई है। इसी प्रक्रम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त कियागयािक वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु श्री पंकज शर्मा जे०एम०एफ०सी० गाहद के न्यायालय मे भेजा जाता है। इस संबंध मे रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता हैिक वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री पंकज शर्मा जे०एम०एफ०सी० गोहद के न्यायालय में उप0 हो। प्रकरण मीडिएशन रिपीट हेतु थोडी देर पश्चात पेश हो।	
	जे०एम०एफ०सी०  पक्षकार पूर्ववत  प्रकरण में मीडिएशन रिर्णेट प्राप्त।  इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। फिरयादी जगत सिंह द्वाराप्रकरण में द०प्र०स की धारा 320 (4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मृतक श्रीदेवी की ओर से भी राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।  सर्वप्रथम द०प्र०स० की धारा 320 (4) के आवेदन पर विचार किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में फिरयादी जगत सिंह ने मृतक श्रीदेवी की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही है। श्रीदेवी फिरयादी जगत सिंह की पत्नि है एवं जगत सिंह मृतक श्रीदेवी का पित होकर श्रीदेवी का विधिक प्रतिनिधि होने के नाते उसकी ओर से राजीनामा करने के लिये सक्षम है अतः वाद विचार आवेदन स्वीकार किया गया एवं जगत सिंह को मृतक श्रीदेवी की ओर से भी राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।  तत्पश्चात द०प्र०स०की धारा 320 (2) के आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी माताप्रसाद,वृदावंन,वासुदेव,कंचन सिंह एवं राजाराम के विरूद्ध भादस की धारा 504,323/34,325/34, एवं 323/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। उपरोक्त धाराये न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है। फिरयादी व आहत ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्व	20

ारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी माताप्रसाद,वृदावंन,वासुदेव,कंचन सिंह एवं राजाराम को भादस की धारा 504,<u>323 / 34</u>,325 / 34, एवं 323 / 34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण पूर्व से जमानत हैं उसके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं। 🧪 प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे। जावे। सही / – प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद

All All Supposed to the second second